

791  
निलाम पत्र पदाधिकारी का न्यायालय, सरायकेला

शाखा-खरसावाँ - कमरायकेला -  
मकसद

बनाम  
श्री निरंजन महता 3/0 स्व० मधु महता

आदेश फलक

आदेश पत्र तारीख..... से.....  
जिला- सरायकेला-खरसावाँ संख्या :- 50/CB/11-12  
केस के प्रकार :- बैठक नगण निलाम पत्र :- 11,027=00

आदेश की क्रम सं० और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की हुई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

अधियाची पदाधिकारी शाखा-खरसावाँ  
कमरायकेला-मकसद द्वारा दायर अधि-  
याचना देखा। लोक मांग अधिनियम के धारा-5 के अन्तर्गत  
देनदार श्री निरंजन महता  
पिता- स्व० मधु महता  
पता- ग्राम-खिरागि  
पत्रालय- मकसद थाना राजगार

जिला-सरायकेला-खरसावाँ के विरुद्ध रकम 11,027=00  
ग्यारह हजार सत्ताईस  
वसुली हेतु अधियाचना  
किए हैं।

देनदार को लोक मांग अधिनियम की धारा-7  
के अन्तर्गत सूचना निर्गत करें एवं पंजी X में दर्ज करें।  
दिनांक 24/X/11  
को अभिलेख प्रस्तुत करें।

24/11  
निलाम पत्र पदाधिकारी,  
सरायकेला

CHN  
226  
23/9/11

आदेश की  
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

12-8-16

आमिनेब अपस्थापित किया गया।  
 इस कार्ड में वायर की मर्री नीलाम पत्र कार्ड की  
 राशि - 25000 = 00 (पचीस हजार) रु के कम  
 होने के कारण अब आमिनेब अपस्थापित  
 राह - नीलाम पत्र पदाधिकारी के हस्ताक्षर  
 के द्वारा किया जायेगा।  
 नीलाम पत्र पदाधिकारी  
 सराय बुवा


28/03/18

आमिनेब अपस्थापित / आदेशक 0000 - 11027200  
 (इयारह हजार सत्तर) रुपये के बकाया राशि के देवदार  
 हैं। जो पुनः चारा - 07 का नोटिस राशिला हेतु  
 लेने।

आमिनेब दिनांक - 13/04/18 का प्रस्ताव

करें।


अपस्थापित


  
 नीलाम पत्र पदाधिकारी  
 आंचल आमिनेब  
 रायपुर

  
 नीलाम पत्र पदाधिकारी  
 आंचल आमिनेब  
 रायपुर

18 कानिसेख उपस्थापित किया गया किमिसेन विधि पर देखाए  
 अमोहरमानकी के न्यायालय को उपस्थित हुए एवं अपने  
 वकालत यह शर्त को पता करने हेतु 15 दिनों का  
 समय का मांग किया गया

दिनांक - तदुपरोक्त पुत्रा रहमता फौज को अमोहर  
 को उपस्थापित करें।

अमोहरमान  
  
 दिनांक 13/07/2018  
 अमोहर अमोहर  
 राउतगार

अमोहरमान  
  
 दिनांक 13/07/2018  
 अमोहर अमोहर  
 राउतगार